न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, धोद, मु. सीकर

2021 बनाम 2191

किस्म मुकदमा ——— मु. नं. 28 वर्ष 2019

दिनांक	आज्ञा-पत्र
28/06/19	प्रार्थी की ओर से वकील श्री सोहनलाल चौधरी ने यह आवेदन पत्र अं.धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश किया है। रिपोर्ट न्यायालय हाजा ली गई। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। आवेदन दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब कर मिसल नियत तिथि 16.07.2019 को पेश हो। (राजपाल यादव) उपखण्ड अधिकारी, धोद मु0 सीकर
16/07/19	अधिवक्ता प्रार्थी गैरहाजिर। अधिवक्ता प्रार्थी व प्रार्थी को आवाज दिलवाई गई। काफी आवाज दिलवाने के बावजूद न्यायालय हाजा में हाजिर नहीं होने से आवेदन एकतरफा अग्रेतर कार्यवाही उपरांत खारिज किया जाता है। निकाल फाइल हाजरी रजिस्टर किया जाता है। मुकदमा होश नंबर से कम है। उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner